जाने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में भूमिगत पार्किंग

1622. **श्री हुक्मदेव नारायन यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने 10 मई, 1985 के एक पत्र में यह मांग की थी कि कनाट प्लेस (नई दिल्ली) में भूमिगत पार्किंग के निर्माण में लगी कंपनी द्वारा की गई गड़बड़ी, इमारती समान की चोरी और मजदूरों को नियमानुसार मजदूरी न दिये जाने के सम्बन्ध में जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्री हुक्म देव नारायण यादव ने 10 मई, 1985 को एक पत्र लिखा, जिसमें मैसर्स दीवान चन्द एंड कंपनी, नई दिल्ली द्वारा की गई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था ।

(ख) श्रम कानूनों को लागू करने के बारे में एक रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन से प्राप्त की गई थी । उन्होंने सूचित किया है कि श्रमिकों से मौके पर की गई जांच-पड़तालों से पता चला है कि उनमें से किसी भी श्रमिक को मजदूरी की निर्धारित न्यूनतम दरों से कम मजदूरी नहीं दी जा रही है । ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ठेकेदार को दो बार दोषी ठहराया गया ।

उपर्युक्त कार्य अब पूरा हो चुका है । इस समय, दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग के पास जांच पड़ताल के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं पड़ी है ।

विदेशों में निर्माण कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों के विरुद्ध जांच

1623. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :**
श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 7 जून, 1985 को एक पत्र लिखा था जिसमें यह मांग की गई थी कि विदेशों में निर्माण कार्य करने वाली भारतीय कंपनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने के आरोप की जांच की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) जी, हां ।

(ख) उन कम्पनियों के सम्बन्ध में उत्प्रवास अनुमति रोक दी गई थी जिनके खिलाफ श्रमिकों का शोषण करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन्हें अनुमति केवल तभी प्रदान की गई जब उनके खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों को निपटा दिया गया ।

दिल्ली में सहकारी सामूहिक आवास समितियां

1624. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी सामूहिक आवास समितियां हैं तथा उन्हें मकष्ट बनाने के लिए भूमि का आवंटन विशिन-